

(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005-II, Dated 7th June, 2013 as required under Article 348(3) of the Constitution of India)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF FORESTS**

No. FFE-B-F(6)-11/2005-II/ Gamgul Siyabehi Dated Shimla-2, the 7th June, 2013

NOTIFICATION

Whereas a notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act 1972(53 of 1972) was issued by the Government vide Notification No. FFE-B-F(6)-4 /99 dated 23.10.1999, to declare **Gamgul Siyabehi as Wildlife Sanctuary** comprising an area of 109 sq . km;

And whereas, the matter with regard to rationalization of the Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh was under consideration of the Hon'ble Supreme Court in IA No. 139/2010 in Writ Petition Civil No. 337 of 1995 titled Centre for Environmental Law, WWF-I Versus Union of India & Others;

And whereas, in pursuance to the Hon'ble Supreme Court order dated 7th May 2010, the State Government issued intention Notifications under Section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, in respect of the Wildlife Sanctuaries and National Parks for which rationalization had been proposed;

And whereas, Intention Notification under section 18(1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 was issued vide Notification No.FFE-B-F(6)-11/2005 dated 28th July 2010, to include an area of 15.00 sq. km to the existing 109.00 sq. km area of Gamgul Siyabehi Wildlife Sanctuary;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 05/08/2011, further directed the State Government to follow the procedure laid down under Section 18 to 26A and 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 before issuance of final Notifications under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972, which procedure was duly followed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 01/02/2013 passed in IA No. 155 (earlier IA No. 139/2010), has permitted the State Government to issue final Notifications under Sections 26A, 35(4) & 36A of the Wildlife (Protection) Act, 1972, with

regard to the proposed rationalization of boundaries of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh;

And whereas, as a consequence of rationalization of boundaries of Gamgul Siyabehi Wildlife Sanctuary, an additional area of 15.00 sq. km is included and 15.60 sq. km area is excluded (comprising 32 villages list attached as Annexure-I) from the existing area of 109 sq. km of Gamgul Siyabehi Wildlife Sanctuary. The total area of 108.40 sq. km (109 .00 sq. km + 15.00 sq. km – 15.60 sq. km) shall now constitute the Gamgul Siyabehi Wildlife Sanctuary after rationalization;

Now, therefore, the Governor Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 26A of the Act ibid is pleased to declare the aforesaid area of 108.40 sq. km as '**Gamgul Siyabehi Wildlife Sanctuary**' with immediate effect for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment.

The limit of Gamgul Siyabehi Wildlife Sanctuary shall be as under:

Sr. No	Name of WL Sanctuary	Constituents i) District ii) Forest Division	Boundaries of Gamgul Siyabehi Wildlife Sanctuary
1.	Gamgul Siyabehi Wildlife Sanctuary	i) Chamba ii) Chamba (WL) Division	<p>NORTH : From Baju Bag Gali to Bishot PF at 3289 Mtrs. Height and then up to Pateran at 3916 Mtrs. Height all along the boundary of Jammu & Kashmir.</p> <p>EAST: From Pateran at 3916 Mtrs. Height to Chalipur Gali at 3524 Mtrs. height and then up to Chabbi along Shikru Da Nalla.</p> <p>SOUTH: From Chabbi along the outer boundary of Kalhetra RF, Thamaru RF, Khoran RF, Jalari RF, Boda RF, Sathi RF, Nalwad RF, Dhar Chanwani, Guin Nal RF, Laded RF, Dandi RF, Ranjal RF, Gowari RF, Bhangotli RF, Bir RF, Gagli RF upto Talai. From Talai along the Siul Nalla upto Ranod to Kalethu at 3633 Mtrs. Height.</p>

			WEST: From Kalethu 3633 Mtrs. Height to Udak 3530 Mtrs. Height up to Baju Bag Gali.
--	--	--	--

This area is situated within the Geo co-ordinates **North** ($32^{\circ} 55' 44'' \text{N}$ & $75^{\circ} 50' 46'' \text{E}$), **East** ($32^{\circ} 48' 40'' \text{N}$ & $75^{\circ} 58' 32'' \text{E}$), **South** ($32^{\circ} 47' 29'' \text{N}$ & $75^{\circ} 56' 37'' \text{E}$) and **West** ($32^{\circ} 52' 48'' \text{N}$ & $75^{\circ} 47' 49'' \text{E}$) which falls on Survey of India topo sheet No.43P/13 Scale 1:50,000.

Area of Gamgul Siyabehi Wildlife Sanctuary= 108.40 sq. km


By Order

Principal Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No As above
Copy forwarded to:-

Dated Shimla-2 the 7th June, 2013

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. All the Divisional Commissioners, Shimla, Mandi & Dharamshala, H.P.
3. All the Heads of Departments of H.P.
4. The Principal Chief Conservator of Forests, H.P. Shimla-1
5. The Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) H.P. Shimla-1.
6. All CCFs / DFOs (Wildlife) in H.P.
7. All the Deputy Commissioners in H.P.
8. All the CCFs/CFs /DFOs in H.P.
9. ALR-cum- Under Secretary Law to the Government of Himachal Pradesh.
10. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.
11. The Controller H.P. Printing & Stationary Department Shimla-5 for publication in the Raj-Patra (Extra-ordinary) Five Copies of the Raj-Patra be sent to this Department.
12. Guard File.


Under Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

Annexure-I

List of villages to be excluded from Gamgul Siyabehi Wildlife Sanctuary

1.	Sanooh.
2.	Gagal.
3.	Kainthly.
4.	Adap.
5.	Dandodi.
6.	Dugli.
7.	Bhadroh.
8.	Jasoh..
9.	Tharoli.
10.	Jhandoor.
11.	Mandog.
12.	Thath.
13.	Jaladi.
14.	Sanghani.
15.	Karwad.
16.	Sanghned.
17.	Puthial.
18.	Koloie.
19.	Bhadai.
20.	Pathwal.
21.	Sagodi.
22.	Soon.
23.	Pradh.
24.	Chandu.
25.	Dhamogi.
26.	Chaneti.
27.	Kinsaloo.
28.	Dadri.
29.	Priungal.
30.	Langera.
31.	Digodi.
32.	Khanei.

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)-11/2005-II, गमगुल सियाबेही तारीख शिमला-2, 7 जून, 2013

अधिसूचना

सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 26क के अधीन अधिसूचना संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)-4/99 तारीख 23-10-1999 द्वारा 109.00 वर्ग किलोमीटर से समाविष्ट क्षेत्र गमगुल सियाबेही को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी;

और हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के युक्तिकरण की बाबत मामला आईए नं 139/2010 इन रिट पिटिशन सिविल नं 337 ऑफ 1995 नामतः सेन्टर फॉर एनवारनमेंटल लॉ, डबल्यू डबल्यू एफ-1 बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदजर्ज में माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 7 मई, 2010 के अनुसरण में सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों, जिनके लिए युक्तिकरण प्रस्तावित किया गया था, की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अधीन इस आशय की अधिसूचनाएं जारी की थी;

और अधिसूचना संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)11/2005 तारीख 28 जुलाई, 2010 द्वारा गमगुल सियाबेही वन्य जीव अभ्यारण्य के विद्यमान 109.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 15.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18(1) के अधीन आशय अधिसूचना जारी की गई थी;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 5-8-2011 द्वारा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन अंतिम अधिसूचना जारी करने से पूर्व, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 से 26क और 35 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश दिए गए, जिस प्रक्रिया का सम्यक् रूप से अनुसरण किया गया था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईए न० 155 (पहले आईए न० 139/2010) में पारित आदेश तारीख 1-2-2013 द्वारा, राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तिकरण की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क, 35(4) एवं 36क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने को अनुमत किया है;

और गमगुल सियाबेही वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं के युक्तिकरण के परिणामस्वरूप गमगुल सियाबेही वन्य जीव अभ्यारण्य के 109 वर्ग किलोमीटर के विद्यमान क्षेत्र में 15.00 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है और उसमें से 15.60 वर्ग किलोमीटर (जिसमें 32 गांव पड़ते हैं की सूची उपाबन्ध-1 के अनुसार) को एतद्वारा अभ्यारण्य से निकाल दिया गया है । युक्तिकरण के पश्चात् गमगुल सियाबेही वन्य जीव अभ्यारण्य का कुल क्षेत्र 108.40 वर्ग किलोमीटर (109.00 वर्ग किलोमीटर + 15.00 वर्ग किलोमीटर - 15.60 वर्ग किलोमीटर) से गठित होगा ।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम, की धारा 26क के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन्य जीव और पर्यावरण के संरक्षण, प्रसारण या विकसित करने के प्रयोजन के लिए, 108.40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तुरन्त प्रभाव से गमगुल सियाबेही वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करती हैं ।

गमगुल सियाबेही वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं निम्न प्रकार से होंगी:

क्रम संख्या	वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम	घटक i) जिला ii) वन मण्डल	गमगुल सियाबेही वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं
1	गमगुल सियाबेही	i) चम्बा ii) चम्बा (वन्य जीव मण्डल)	उत्तर: बाजू बाग गली से बिशोट बिन्दु 3289 मीटर की ऊंचाई पर और उसके बाद पटेरन 3916 मीटर ऊंचाई तक, सारी सीमा जम्मू और कश्मीर राज्य की सीमा के साथ-साथ होती हुई । पूर्व: पटेरन 3916 मीटर उंचाई से चालीपुर गली 3524 मीटर ऊंचाई पर और उसके बाद चाबी तक सिकडू दा नाला के साथ-साथ होती हुई ।

		<p>दक्षिण : चाबी से कलेतरा आरक्षित वन थमरु आरक्षित वन, खोरन आरक्षित वन, जलाडी आरक्षित वन, बोडा आरक्षित वन, सठी आरक्षित वन, नलवाड आरक्षित वन, धार छनवाणी, गियूण नाल आरक्षित वन, लदेड आरक्षित वन, डांडी आरक्षित वन, राजल आरक्षित वन, गुवाडी आरक्षित वन, भंगोटली आरक्षित वन, बीड आरक्षित वन, गागली आरक्षित वन, से तलाई तक सभी जंगलों की बाहरी सीमा के साथ-साथ तलाई से सियूल नाला के साथ रनोल से कलेदू 3633 मीटर ऊंचाई तक ।</p> <p>पश्चिम: कलेदू 3633 मीटर ऊंचाई से ऊदक 3530 मीटर ऊंचाई से बाजू बाग गली तक ।</p>
--	--	--

इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति: उत्तर अक्षांश $32^{\circ} 55' 44''$ उत्तर और देशान्तर $75^{\circ} 50' 46''$ पूर्व । पूर्व अक्षांश $32^{\circ} 48' 40''$ उत्तर और देशान्तर $75^{\circ} 58' 32''$ पूर्व । दक्षिण अक्षांश $32^{\circ} 47' 29''$ उत्तर और देशान्तर $75^{\circ} 56' 37''$ पूर्व और पश्चिम अक्षांश $32^{\circ} 52' 48''$ उत्तर और देशान्तर $75^{\circ} 47' 49''$ पूर्व । यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट नम्बर 43पी/13, (पैमाना 1:50,000) पर दर्शाया गया है ।

क्षेत्रफल: 108.40 वर्ग कि०मी०

आदेश द्वारा,


प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

दिनांक शिमला-2, 7 जून, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश-शिमला-2
2. सभी मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व धर्मशाला मण्डल हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश शिमला-1
5. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश-शिमला-1
6. समस्त मुख्य अरण्यपाल/ वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
8. समस्त मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल/वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) हिमाचल प्रदेश ।
9. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
10. आयुक्त नगर निगम शिमला हिमाचल प्रदेश ।
11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु । कृपया इसकी पांच अतिरिक्त प्रतियां छापी जावें ।
12. गार्ड फाइल ।


अवर सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

उपाबन्ध-I

गांव की सूचि जो गमगुल सियावेही वन्य प्राणी अभ्यारण्य से बाहर होंगे ।

क्रम संख्या	गांव का नाम
1	सनूह
2	गगल
3	कैथली
4	अडाप
5	डडोडी
6	डुगली
7	भदरोह
8	जसोह
9	थरोली
10	झन्डूर
11	मन्डोग
12	थाथ
13	जलाडी
14	संघणी
15	करवाड
16	संघनेड
17	पुठियाल
18	कोलोई
19	भडेई
20	पथवाल
21	सगोडी
22	सूण
23	प्रेढ
24	चान्दू
25	धमोगी
26	चनेटी
27	किनसालू
28	डडरी
29	प्रंयूगल
30	लंगेरा
31	दिगोडी
32	खनेई